



2026:AHC:28308

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट - सी संख्या - 765 वर्ष 2026

लक्ष्मी नारायण

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 8 अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता हेतु अधिवक्ता : आशुतोष पांडे, प्रवीण कुमार मिश्रा

प्रत्यर्थी हेतु अधिवक्ता : आज़ाद राय, सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति

1. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. यहाँ प्रस्तावित आदेश को दृष्टिगत रखते हुए, प्रत्यर्थी/प्रत्यर्थियों को नोटिस जारी करने और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने का कोई उपयोगी प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। तथापि, यदि प्रत्यर्थी/प्रत्यर्थीगण इस आदेश से व्यथित महसूस करते हैं, तो आदेश में संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का उनका अधिकार सुरक्षित रखा गया है।
3. वर्तमान याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई मुख्य राहत प्रत्यर्थी संख्या 2-उप जिलाधिकारी, प्रयागराज को वाद संख्या 5701 वर्ष 2025 में लंबित 'पुनर्स्थापन आवेदन' संख्या शून्य वर्ष 2025 को शीघ्र निस्तारित करने हेतु निर्देशित करना है।
4. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि यद्यपि काफी समय व्यतीत हो चुका है, किंतु इस मामले में आज तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, वर्तमान याचिका को संबंधित न्यायालय को निर्देशित करते हुए निस्तारित किया जाता है कि वह उपरोक्त आवेदन को पूर्णतः विधि के अनुसार, अत्यंत त्वरित गति से और अधिमानतः **तीन माह** की अवधि के भीतर, बिना किसी अनावश्यक स्थगन के निस्तारित करें, बशर्ते कि कोई विधिक बाधा न हो।

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

9 फरवरी, 2026

प्रमोद त्रिपाठी

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।